

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:प.10( )सर्त./C.M. Helpline/राजसम्पर्क/ आईसीडीएस/2015/11574-910 जयपुर, दिनांक: 16-1-18

समस्त उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

परिपत्र

दिनांक 23.12.2017 को मा0 मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा विभिन्न विभागों की Grievances की समीक्षा किए जाने पर काफी संख्या में Grievances L-1, L-2, L-3 व L-4 स्तर पर लम्बित पायी गई।


(1) L-1, L-2 लेवल पर Grievances का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण काफी Grievances L-3 व L-4 स्तर पर अग्रेषित हो रही है। अतः आप यह स्पष्ट करे कि आप द्वारा निर्धारित समयावधि में Grievances का निस्तारण किस कारण से नहीं किया जा रहा है।

(2) L-1, L-2 पर दर्ज Grievances के निस्तारण के समय आप यह भी ध्यान रखे कि परिवादी सन्तुष्ट है अथवा नहीं। परिवाद में गलत निस्तारण की स्थिति में परिवादी के असन्तुष्ट होने से परिवाद L-3 व L-4 स्तर पर पुनः कार्यवाही हेतु Re-open हो जाता है। अतः परिवादी की सन्तुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जावे, साथ ही Rejected cases की Random Cheking कर यह भी सुनिश्चित करे कि Rejected किए गए cases सही Rejected किए है या नहीं।

(3) Rejected किए गए cases में से 10 cases के सम्बन्ध में प्रतिदिन परिवादी से फोन पर वार्ता करे, जिससे Rejected किए गए cases के सम्बन्ध में कमी व आवश्यकता का पता चल सकेगा।

(4) दिनांक 23.12.2017 को मा0 मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा की गई समीक्षा के दौरान विभाग में प्राप्त 1493 प्रकरणों में से कुल लम्बित प्रकरण 508 पाये गए है, जो L-1 पर 267, L-2 पर 193 पाये गए है।

अतः उपर्युक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

  
(शुभि शर्मा)

आयुक्त  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर